



कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख्य पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियाँ सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 66

अप्रैल, 2021

अंक 04

कुल पृष्ठ 8



श्रोक सन्देश

भारत कृषक समाज श्री मंगत सिंह खनूजा जी, उपाध्यक्ष, भारत कृषक समाज के निधन पर अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है, वे एक बहुत ही प्रगतिशील, उत्सुक किसान और एल.एल.बी में स्वर्ण पदक विजेता थे, उनका निधन 19 मार्च 2021 को इंदौर, मध्य प्रदेश में अपने आवास पर हुआ।

श्री खनूजा जी भारत कृषक समाज के बहुत ही सक्रिय सदस्य थे, वह कृषक समुदाय के एक समर्पित संगठनकर्ता थे और साथी किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन, और सलाह प्रदान करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहते थे।

हम प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस क्षति को सहन करने की शक्ति मिले तथा दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हो।

किसान आंदोलन ने भारत के लिए विश्व व्यापार संगठन में रास्ते तैयार किए

विशेषज्ञ

कई राज्यों ने भारतीय किसानों को सब्सिडी की चुनौती दी है भारत सरकार और देश भर में आंदोलनकारी किसानों के बीच गतिरोध जारी है, लेकिन चल रहे आंदोलन ने वैश्विक स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस आंदोलन ने जिनेवा में मुख्यालय वाले विश्व व्यापार संगठन में भारत की मदद की है, जहां अब यह स्वीकार किया जाता है कि भारतीय किसान संसाधन गरीब है। यह महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि कई राज्यों ने हाल के दिनों में भारतीय किसानों को सब्सिडी की चुनौती दी है। यह संदेश गया है कि कृषि के लिए गहरा संकट और राज्य सहायता की तत्काल आवश्यकता है। यह यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि निगमों को दी जाने वाली भारी सब्सिडी पर भी प्रकाश डाल सकता है।

चंडीगढ़ में सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जीवन, आजीविका और तीन कृषि कानूनों, पर एक पैनल चर्चा में कुछ विचार व्यक्त किए गए, जहां प्रख्यात

अर्थशास्त्री रंजीत सिंह घुमन और केंद्रीय कृषि मंत्रालय के पूर्व सचिव सिराज हुसैन ने विवादास्पद कानूनों के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कृषि राज्य के समर्थन के बिना जीवित नहीं रह सकती और इन कानूनों को लागू करने से पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि व्यवसायों से इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का समर्थन करने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

हुसैन के मुताबिक यह महसूस किया जा रहा है कि कई राज्य वास्तव में कृषि उपज मंडी समितियों या एपीएमसी की कार्यप्रणाली से प्रभावित नहीं हैं, जिनका ढांचा इस बात तक कमजोर हो चुका है कि किसान मंडियों के बाहर अपनी उपज बेचने को मजबूर हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जमीन जोत इस बात तक सिमट गई है कि किसान अपनी उपज को सुदूर एपीएमसी में बेचने के बारे में नहीं सोच सकते और इसके बजाय स्थानीय व्यापारियों को बेच देते हैं। पंजाब की उन्होंने कहा कि

हरित क्रांति और प्रोत्साहित करने वाली नीतियों के कारण दशकों से फसल के पैटर्न में बदलाव आया है: जबकि पंजाब के केवल 5% क्षेत्र में हरित क्रांति से पहले 1960 में धान की कमी थी, यह अब 40% है। इस बीच दालों के क्षेत्र में गिरावट आई है। उन्होंने कहा, पंजाब के किसानों को एहसास होता है कि पानी के तनावग्रस्त क्षेत्र में धान उगाना लंबे समय तक संभव नहीं है।

हुसैन ने जोर देकर कहा कि भारत सरकार को पांच से दस वर्षों में किसानों के लिए आय का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने की जरूरत है ताकि वे अन्य फसलों में बदल सकें। इसके लिए वैज्ञानिक प्रतिष्ठान के साथ अनुसंधान को बढ़ावा देने, अन्य फसलों में अधिक निवेश करने की आवश्यकता होगी।

कानूनों के माध्यम से एक दिन में कठोर परिवर्तन नहीं आ सकते। नीति आयोग को 2030 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे पर दस साल की योजना लाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले से ही पंजाब और हरियाणा से अधिक गेहूं और धान की खरीद कर रही है और अगर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में खरीद कुशल होती तो मात्रा काफी अधिक हो सकती है। ऐसे परिदृश्य में इसके पास अतिरिक्त

खाद्यान्नों से निपटने का कोई तरीका नहीं होगा। हुसैन ने कहा, कृषि एक जटिल विषय होने के साथ कई लोग शामिल हैं, अध्यादेश कृषि अर्थव्यवस्था में इस तरह के संरचनात्मक परिवर्तन करने का मार्ग नहीं है।

नई दिल्ली के इस कदम के विरोध में रंजीत सिंह घुमन कहीं ज्यादा तीखे थे। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि ये कानून किसानों के बजाय कॉर्पोरेट को सशक्त करेंगे।

उन्होंने कहा, इन कानूनों के संबंध में सरकार द्वारा सूचीबद्ध किए जा रहे उद्देश्य जमीनी वास्तविकता से मेल नहीं खाते। एक साथ तीन कानून एपीएमसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को कमजोर करेंगे क्योंकि निजी मंडियां निगमों के प्रवेश के साथ एपीएमसी पर प्रबल होंगी।

आंकड़ों की एक श्रृंखला के साथ अपने विचारों का समर्थन करते हुए घुमन ने कहा कि अनुबंध खेती की दिशा में प्रस्तावित कदम किसानों को निजी कंपनियों के अधीन कर देगा, जो आदानों, तकनीकी सलाह और विपणन के लिए उन पर निर्भर हैं।

इस क्षेत्र में अपने शोध के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि कृषि को लगातार हाशिए पर रखा गया है, जैसे कि भूमि जोत के आकार में गिरावट आ रही

है और युवा लोग अब इसे व्यवसाय के रूप में लेने के इच्छुक नहीं हैं।

संसद द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम में किए गए संशोधनों की आलोचना करते हुए घुमन ने पूछा, अनाज, दलहन, तिलहन और आलू आवश्यक वस्तुएं नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि नया कानून काले बाजारों और एकाधिकार को बढ़ावा देगा, जिसमें कंपनियों का एक कार्टल खरीद के समय किसानों को शर्त तय करेगा।

उन्होंने कहा, ऐसे कानून होने चाहिए जो कृषि को प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन के साथ रोजगार और कृषि उत्पादों के साथ एकीकृत करें।

विशेषज्ञों ने सांविधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य की आंदोलनकारी किसानों की मांग पर भी बात की। घुमन का मानना था कि कानून में गारंटीशुदा एमएसपी रेफरल पॉइंट के रूप में कार्य करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा किसानों को एमएसपी खत्म नहीं किए जाने का आश्वासन देने के साथ उन्होंने कहा कि पुराने अनुभव के आधार पर उनका विचार यह है कि एमएसपी अब नहीं मिलेगा।

जब सरकार खरीद से पीछे हट जाती है तो उन्होंने बताया, निजी कारोबारियों को एमएसपी या उससे

ऊपर की खरीद के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। घुमन ने कहा, एक बेंचमार्क होगा और इसीलिए एमएसपी की जरूरत है।

उन्होंने कहा, एमएसपी को गेहूं और धान के अलावा 21 फसलों के लिए कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए, जिसके लिए इसकी घोषणा की जाती है लेकिन शायद ही कोई खरीद हो। यह फसलों के विविधीकरण के लिए बहुत जरूरी है और आयात बिलों में गिरावट का कारण बनेगा।

घुमन को लगता है कि तीन विवादास्पद कानूनों को एक समिति द्वारा कृषि नीति की व्यापक समीक्षा लंबित होने तक 'निलंबित' किया जाना चाहिए, जिसमें विशेषज्ञों के साथ किसानों के प्रतिनिधि हैं।

उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया की संवैधानिकता सुनिश्चित करने के लिए समिति के निष्कर्षों या रिपोर्ट पर राज्य विधानसभाओं में बहस होनी चाहिए। कृषि भारतीय संविधान में राज्य का विषय है।

इसी तरह सिराज हुसैन ने किसानों के लिए सुनिश्चित लाभकारी मूल्य की आवश्यकता पर बल दिया, जिसके लिए एक तंत्र को अर्थशास्त्रियों, किसानों और चुनी हुई सरकार द्वारा सामूहिक रूप से विकसित करना होगा।

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

बजट 2021–22 और किसानों की अपेक्षाएं

डॉ. टी. हक

एक फरवरी को लोकसभा में पेश हुआ 2021–22 का बजट मौजूदा आर्थिक मंदी, कोविड–19 महामारी और किसान आंदोलन की परिस्थितियों में पेश किया गया। आम तौर पर उम्मीद की जा रही थी कि कृषि और ग्रामीण विकास के बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी क्योंकि ग्रामीण भारत में किसानों और अन्य कामगारों की आमदनी में जरा भी सुधार मांग को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को उबारने में मददगार होगा। हालांकि, यह उम्मीद पूरी होती नहीं दिख रही है। फिर भी संसाधनों की कमी और कोविड–19 संकट के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा में सुधार की जरूरत को देखते हुए कृषि और ग्रामीण विकास के बजट आवंटन से बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है।

वर्ष 2021–22 में कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए बजट आवंटन 2020–21 में 1,54,775 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान से घटकर 1,48,301 करोड़ रुपये रह गया है, जबकि 2020–21 का संशोधित अनुमान 1,45,355 करोड़ रुपये था। इस प्रकार चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान के मुकाबले कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के बजट में बढ़ोतरी हुई है।

2021–22 में ग्रामीण विकास का बजट 1,94,633 करोड़ रुपये रखा गया है जो 2020–21 में 1,44,817 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान से तो अधिक है लेकिन 2,16,342 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से कम है। उर्वरक सब्सिडी 2020–21 में 71,309 करोड़ रुपये थी जो 2021–22 में बढ़कर 79,530 करोड़ रुपये हो गई है, लेकिन यह भी 2020–21 में 1,33,947 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से कम है। इसी तरह, खाद्य सब्सिडी 2020–21 में 1,15,570 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से बढ़ाकर 2021–22 में 2,42,836 करोड़ रुपये कर दी है, लेकिन यह 2020–21 में 4,22,618 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से बहुत कम है।

योजनाओं का आवंटन

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजनाओं के बजट में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि (पीएम–किसान) योजना का बजट 2019–20 में 48714 करोड़ रुपये था, जिसे 2020–21 के बजट में बढ़ाकर 75,000 करोड़ और संशोधित अनुमानों में 65,000 करोड़ रुपये किया गया। वर्ष 2021–22 के बजट में भी पीएम–किसान योजना के

लिए 65,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवंटन 2019–20 में 12,639 करोड़ रुपये के वास्तविक खर्च से बढ़कर 2020–21 में 12,695 करोड़ (बजट अनुमान) और 15,306; संशोधित अनुमान) करोड़ रुपये हुआ था, जिसे 2021–22 में बढ़ाकर 16,000 करोड़ रुपये किया गया है। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का बजट 2019–20 में 2,700 करोड़ रुपये के वास्तविक खर्च से बढ़ाकर 2020–21 के बजट में 4000 करोड़ रुपये किया गया था। 2021–22 में भी यह उसी स्तर पर है। हालांकि, 2020–21 के लिए इस योजना का संशोधित अनुमान बहुत कम 2563.20 करोड़ रुपये था।

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए आवंटन 2020–21 के संशोधित अनुमान 208 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2021–22 में 900 करोड़ करोड़ रुपये किया गया है। लेकिन किसानों को मिलने वाले लघु अवधि ऋणों की ब्याज सब्सिडी का बजट 2020–21 में 21175 करोड़ रुपये के बजट अनुमान और 19831 रुपये के संशोधित अनुमान से घटकर 2021–22 में 19468 करोड़ रुपये रह गया है।

कृषि शिक्षा और अनुसंधान के लिए अनुमानित व्यय को भी 2019–20 में

7523 करोड़ रुपये के वास्तविक खर्च से बढ़ाकर 2020–21 में 8363 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) और 7762 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) किया गया था, जिसे 2021–22 में बढ़ाकर 8514 करोड़ रुपये कर दिया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम का आवंटन 2019–20 में 266 करोड़ रुपये के वास्तविक खर्च से बढ़ाकर 2020–21 में 300 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) और 286 करोड़ (संशोधित अनुमान) हुआ था। 2021–22 में यह और भी घटकर 255 करोड़ रुपये रह गया है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन का आवंटन 2020–21 में 370 करोड़ रुपये के बजट अनुमान और 425 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से भी घटाकर 2021–22 में 350 करोड़ रुपये किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पीएम किसान संपदा योजना के बजट में भी अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। इस योजना का वास्तविक बजट 2019–20 में 819 करोड़ रुपये था जो 2020–21 में 1081.41 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) और 750 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) रहा। 2021–22 में इस योजना का बजट 700 करोड़ रुपये है।

ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का

बजट 2019–20 में 71686.70 करोड़ (वास्तविक) से बढ़कर 2020–21 में 1,11,500 करोड़ रुपये हो गया था लेकिन 2021–22 में मनरेगा का आवंटन घटाकर 73,000 करोड़ रुपये किया गया है। कई अर्थशास्त्रियों ने मनरेगा के बजट में कटौती की आलोचना की है क्योंकि हाल के दिनों में प्रवासी श्रमिकों के गांव लौटने के कारण मनरेगा के तहत काम की मांग बढ़ी है। इस कार्यक्रम में रोजगार पैदा करने और विकास के लिए परिसंपत्तियों के सृजन की क्षमता है। इस तरह के शोध प्रमाण हैं कि मनरेगा के तहत बने सिंचाई के तालाब, वाटरशेड डेवलपमेंट और सड़क निर्माण आदि कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण विकास में मददगार होते हैं। इससे निर्धन व्यक्तियों के हाथ में खर्च करने के लिए पैसा पहुंचता है, जिससे अर्थव्यवस्था में खपत और मांग बढ़ती है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आवंटन भी 2020–21 के बजट अनुमान 19,500 करोड़ रुपये से घटाकर 2021–22 में 15,000 करोड़ रुपये कर दिया है। इस बार का आवंटन 2020–21 के संशोधित अनुमान 13,706 करोड़ रुपये से ज्यादा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन गत वर्ष के बराबर 19,500 करोड़ रुपये रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का वास्तविक बजट आवंटन 2019–20 में 9210 करोड़

रुपये था जो 2020–21 में 9210 करोड़ रुपये हुआ और अब 2021–22 में बढ़कर 13,677 करोड़ रुपये हो गया है।

नई योजनाओं की घोषणा

हर बजट में, कुछ नई योजनाओं की घोषणा की जाती है, भले ही ये वास्तव में लागू हों या न हों। उदाहरण के तौर पर, केंद्रीय बजट 2018–19 में वादा किया गया था कि i) बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरने की स्थिति में भावांतर का भुगतान किया जाएगा। ii) दूरदराज के इलाकों के 22,000 ग्रामीण हाटों का विकास और सुदृढ़ीकरण होगा। इन्हें e-NA डसे जोड़ा जाएगा और एपीएमसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। iii) आलू टमाटर और प्याज जैसी जल्दी खराब होने वाली उपजों की प्रोसेसिंग, एग्री-लॉजिस्टिक और एफपीओ के संचालन को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन iv) किराये पर जमीन लेकर खेती करने वाले काश्तकारों के लिए संस्थागत ऋण मुहैया कराना। ये वादे काफी हद तक अधूरे हैं।

इस वर्ष बजट में की गई नई घोषणाओं में ऑपरेशन ग्रीन में 22 उत्पादों का शामिल करना, 1000 मंडियों को e-NAM से जोड़ना, कोच्चि, चेन्नई, विजाग, पारादीप और पेटुघाट में पांच फिशिंग हार्बर्स का आधुनिकीकरण और कई अंतर्राष्ट्रीय फिशिंग हार्बर और फिश

लैंडिंग सेंटर विकसित करना, तमिलनाडु में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करना, गांवों में संपत्ति के मालिकाना अधिकार का रिकॉर्ड तैयार करने वाली स्वामित्व योजना का पूरे देश में विस्तार, नाबार्ड के तहत बने माइक्रो इरीगेशन फंड को 5,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये करना शामिल है।

वित्त मंत्री के बजट भाषण में कृषि ऋण का लक्ष्य 2022 में बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए कर्ज सुनिश्चित कराने और रुरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 30,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने का जिक्र किया गया है। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को कृषि उपज मंडियों (एपीएमसी) में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा भी की है। इस घोषणा से यकीन बढ़ाना चाहिए कि नए कृषि कानूनों के जरिये सरकार का

एपीएमसी मंडियों को खत्म या कमज़ोर करने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि, इन योजनाओं और घोषणाओं का प्रभावी कार्यान्वयन बहुत मायने रखता है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्रीय बजट 2021–22 संभवतः किसानों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। वास्तव में, किसानों की उम्मीदें इसलिए भी अधिक थीं क्योंकि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया थाए जिसके लिए इस साल का बजट महत्वपूर्ण था। यह आर्थिक विकास हेतु प्रभावी मांग को बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण था। हालांकि, कोविड-19 संकट के बीच संसाधनों की कमी और प्राथमिकताओं में बदलाव को देखते हुए सरकार ने शायद किसानों और खेती के हित में अपनी तरफ से बेहतर करने का प्रयास किया। पिछले कुछ वर्षों में बजट में घोषित कई योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना अधिक महत्वपूर्ण है।

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

भारत कृषक समाज ए-1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली- 110013, फोन: 011-24359509, 9667673186,
ई-मेल: ho@bks.org.in, वैबसाईट: www.farmersforum.in के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा
सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस -2, नई
दिल्ली -110020 द्वारा मुद्रित।